संख्या-471/2026/I/1419980/2026/001-CN-1652205-6-7099-328-2022

प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2026

विषय:- यूपी 100 परियोजना (वर्तमान में 112 परियोजना) मुख्यालय भवन हेतु डबल सोर्स द्वारा ऊर्जीकृत विद्युत अधिष्ठापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-41-2017, दिनांक 11.06.2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 101/2026/-/001-C.N.-1652205-6-7099-328-2022 दिनांक 25.02.2026 द्वारा यूपी 100 परियोजना (वर्तमान में 112 परियोजना) मुख्यालय भवन हेतु डबल सोर्स द्वारा ऊर्जीकृत विद्युत अधिष्ठापन हेतु धनराशि रू0 118.67 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 118.67 लाख अवमुक्त की गयी। प्रश्नगत कार्य को किये जाने हेतु धनराशि रू0 125.86 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा पूर्व में निर्गत धनराशि रू0 118.67 लाख को समायोजित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल अवशेष धनराशि रू0 7,19,000/- (रूपये सात लाख उन्नीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने एवं अग्रिम भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(2) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण किलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(4) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के शासनादेश दि0 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा शासनादेश दिनांक 26-08-2014 एवं दि0 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(10) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शा0दि0 26.11.2024 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(11) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(12) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(13) यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है, क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें।

(14) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के नवीनतम शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं दिनांक 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा बैंक गारण्टी के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता के पास पर्याप्त वित्तीय तरलता की पुष्टि सुनिश्चित की जायेगी।

(16) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी / अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी / अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(17) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाय।

(18) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय का होगा।

(19) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रायोजन हेतु धनराशि के अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, 15-11-2017 निर्गत किया गया है, जो वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983, शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69, दिनांक 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की भौतिक प्रगति, धनराशि अवमुक्त तथा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज किये जाने आदि के सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-12-166-X-2026-27 दिनांक 03-08-2026 द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

(22) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,19,000 (रुपये सात लाख उन्नीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002070600 पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

संख्या-471/2026/I/1419980/2026/001-CN-1652205-6-7099-328-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय-112, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
7. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
10. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
12. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।